भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2021

गुरूवार, 12 दिसंबर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक)

बेरोजगारी भत्ता

2021 श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में बेरोजगार युवाओं को उच्च मुद्रास्फीति से निपटने में सहायता करने के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की योजना प्रारंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के संबंध में कोई प्रारूप प्रस्ताव तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रारूप की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी योजना को आगे न बढ़ाने के कारणों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): युवाओं के कल्याण के साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है और यह एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत, अपना रोजगार खोने वाले बीमित कामगारों को पात्रता के अनुसार बेरोजगारी लाभ का भुगतान किया जाता है। एबीवीकेवाई के तहत, बीमित कामगारों के लाभ के दावे में पात्रता शर्तों में छूट प्रदान करने सहित बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक आय के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है।

****